Indian Polity Handwritten Notes
[भारतीय राज्यव्यवस्था हस्तलिखित नोट्स]

THEORY

Important for:

SSC | Railway | CDS | NDA & All one-day exam...!

Language (भाषा): हिन्दी

Total (कुल): 102 Pages

Precise Note
Kind of Short Note

विषयसूची (Table of Content)

संवैधानिक विकास

- विकास के 3 चरण
    - 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट
- 1781 का एक्ट ऑफ़ सेटलमेंट
- 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट
- 1793 का चार्टर एक्ट
- 1813 का चार्टर एक्ट
- 1833 का चार्टर एक्ट
- 1853 का चार्टर एक्ट
- 1858 का भारत शासन अधिनियम
- 1861 का भारत परिषद् अधिनियम
- 1909 का मार्ले मिन्टो सुधार
- 1919 का भारत परिषद् अधिनियम
- 1935 का भारत शासन अधिनियम
- 1942 का क्रिप्स मिशन
- 1946 का कैबिनेट मिशन
- अंतरिम सरकार का गठन
- संविधान सभा का चुनाव
- प्रारूप समिति
- महत्वपूर्ण समितियाँ
- संविधान के श्रोत

प्रस्तावना

- भारतीय संविधान की विशेषता

भाग 1: संघ व राज्य क्षेत्र

भाग 2: नागरिकता

भाग 3: मौलिक अधिकार

भाग 4: राज्य के निति निर्देशक तत्व (DPSP)

भाग 4 (क): मौलिक कर्तव्य

भाग 5: संघीय कार्यपालिका

भारत की कार्यपालिका

राष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति

महान्यायवादी

संसद

सर्वोच्च न्यायलय

CAG (भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक)

भाग 6: राज्य की कार्यपालिका

राज्य विधानमंडल

राज्यपाल

महाअधिवक्ता

मुख्यमंत्री

उच्चन्यायलय

लोक अदालत

कुटुम्ब न्यायलय

जनहित याचिका (PIL)

पंचायत राज्यव्यवस्था

अनुसूचियाँ

निर्वाचन आयोग

Other available notes:

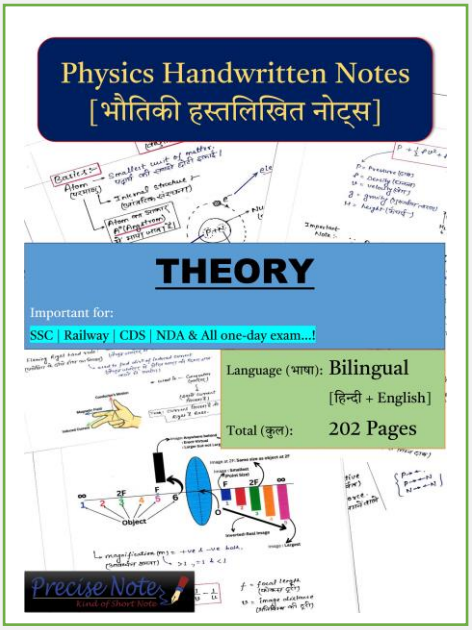

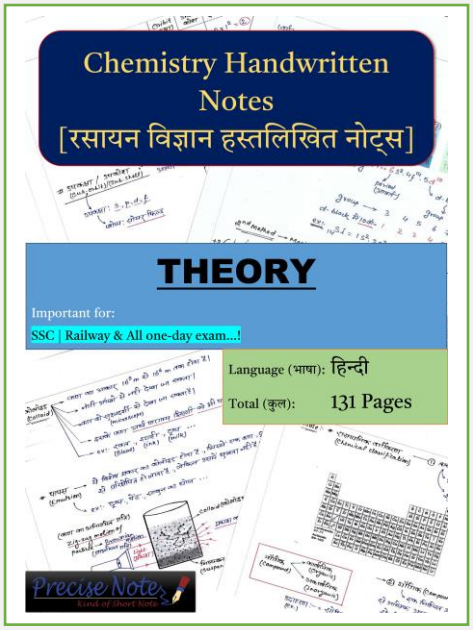

Visit: precisenote.com/notes/

Or, scan bar code

Disclaimer: The notes provided are for educational purposes only. The author is not responsible for any errors or omissions. The content given in the notes has been taught by a teacher. You will get the reference of the teacher on the website.

This note is written by: Jay Prakash

Polity

(संवैधानिक विकास)

विकास के 3 चरण

- → 1773 से 1858 → East India Company (EIC) का शासन रहा
- → 1858 से 1946 → British Crown (ब्रिटेन के राजा का) का शासन रहा
- → 1946 से आजतक → संविधान सभा का गठन हुआ., अपना संविधान बना और आज भी संसोधन जारी है।

* 1600 में EIC की स्थापना हुई., वे भारत में व्यापार करने आई थी., लेकिन धिरे-धिरे वे भारत के प्रशासन में घुसने लग गई और

* 1757 से प्लासी की युद्ध के बाद., ये पुरी तरह से भारतीय प्रशासन मे घुस गये।

* **1773 में रेगुलेटिंग एक्ट** आया (पहली बार लिखित कानून).

1600 ई. EIC की स्थापना	→ 1608 ई. EIC भारत आयी	:- इस लिए EIC को चलाने के लिए 24 सदस्यीय BOD (Board of Director) बनाया गया था। :- इसकी कार्यावधी 1 वर्ष था।

- → BOD के कार्यकाल को बढ़ा कर 4 वर्ष कर दिया गया।
- → बंगाल के governor को पद नाम बदल कर governor general कर दिया गया।
- 2 अलग-अलग Presidency मुम्बई और मद्रास को बंगाल के साथ मिला दिया गया।
- → उच्चतम न्यायालय के लिए आदेश आया

1757 में प्लासी का युद्ध जीतने के बाद इनका कब्जा हुआ :- बंगाल → governor + मुम्बई + मद्रास → governor, governor

मुम्बई और मद्रास - 2 अलग Presidency को बंगाल में मिला लिया गया था., और तीनों जगह एक-एक governor हुए।

Precise Notes
Kind of short Notes

विषयसूची

→ 1773 के रेग्यूलेटींग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय (→ सर्वोच्च न्यायालय (S.C)) खोले जाने का आदेश आया।

1774 मे कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई।

मुख्य न्यायाधिश = एलिजा इम्पे

* 1781 का एक्ट of सेटलमेंट

बंगाल के governor से governor general तो बना दिया गया था., लेकिन उसे कोई शक्तियाँ नही मिली थी।
इस लिए 1781 के एक्ट आफ सेटलमेंट के द्वारा :

→ बंगाल के governor general को बंगाल + बिहार + उड़ीसा इन तीन प्रान्तो में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया।

British जैसा देश., जिसका आज भी अलिखित संविधान है। 1773 में जब पहली बार कुछ लिखा हुआ कानून बनाने का Try किया., तो गलती उसमें भी थी - इस लिए 1781 मे Act of सेटलमेन्ट लाया गया।

* 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट

	Controlling Body	No. of Member
(a) व्यापार -	Board of Director (BOD) =	24
(b) शासन -	Board of controler (BOC) =	6

1784 में Britain में नया प्रधानमंत्री बना - जॉन पिट्स
↓
इसे समझ आया कि EIC भारत में व्यापार करने आयी थी, और अब वह व्यापार के साथ शासन भी कर रही है

∴ व्यापार और शासन दोनों अलग-अलग चीजें हैं., जो केवल एक संगठन (~~Court~~ Board of director) द्वारा नही संभाला जा सकता।

∴ पहले Board of director (BOD) ही व्यापार और शासन., दोनों को नियंत्रित करता था।

* 1793 का चार्टर एक्ट

→ इस एक्ट के तहत BOD और BOC को वेतन., भारतीय कोष से मिलने लगा।

→ कम्पनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।

बार-बार जो संविधान मे सुधार किये जा रहे हैं उन्हे बंद किया जाये और प्रत्येक 20 वर्ष मे कानून की समीक्षा किया जाने का प्रावधान लाया गया। और जो कमी होगा उसे सुधारा जायेगा

BOD और BOC को वेतन., Company के लाभ से दिया जाता था।

└→ ये बन्द किया गया

अब वेतन., भारत के राजस्व से दिया जाने लगा।

= लूट व्यवस्था को और बढ़ा दिया गया।

1793
+20
1813
+20
1833
+20
1853
+20
1873 ← ये आता लेकिन 1857 के क्रान्ती के कारण। ← 1857

1793
+ 20 वर्ष
1813 का चार्टर एक्ट → व्यापार को monopoly (एकाधिकार) खत्म किया गया। सिर्फ : चाय., चीन., अफीम पर monopoly बनी रही।
+ 20 वर्ष
1833 का चार्टर एक्ट
+ 20 वर्ष
1853 का चार्टर एक्ट
+20
1873 का चार्टर एक्ट

आता: पर 1857 का क्रान्ती हुआ जिसके कारण 1858 में ही कानून संशोधन हो गया और कम्पनी का शासन खत्म किया गया और शासन ब्रिटेश के crown के पास चला गया।

1600 ई. → एलिजाबेथ-I ने company को 15 वर्ष के लिए एकाधिकार (monopoly) दिया था।

1603 ई. → वहाँ ब्रिटेन के सम्राट change हुए - जेम्स प्रथम और इन्होने monopoly को 15 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दिया।

1608 से 1813 तक इनकी monopoly चलती रही।

Precise Notes
Kendra of Short Notes

विषयसूची

* 1813 का चार्टर एक्ट :-

1600 ई. में – ऐलिजाबेथ-I ने company को भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का एकाधिकार (monopoly) दिया।

monopoly = यानी भारत के साथ सिर्फ ब्रिटीश ही व्यापार कर सकता था., दूसरी country नहीं।

1603 ई. में – ब्रिटीश का सम्राट change हुआ,

जेम्स-I :
इसने व्यापार की monopoly को 15 वर्ष से बढ़ा कर आजीवन कर दिया।

1608 ई. – ब्रिटीश., भारत व्यापार करने आयी।

∴ 1608 ई. से 1813 ई. तक एकाधिकार (monopoly) बना रहा., लेकिन ब्रिटेन में व्यापार के एकाधिकार को ले कर विरोध हो रहा था जिसके कारण – 1813 के चार्टर एक्ट में व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया., लेकिन चाय., चीन और अफीम पर एकाधिकार कायम रहा।

country.

* 1833 का चार्टर एक्ट :-

एकाधिकार समाप्त करने के कारण., और भी देशों के लिए व्यापार के रास्ते खुल गये। जिसके कारण EIC के व्यापार पर असर पड़ने लगा।

→ इस चार्टर एक्ट में EIC के व्यापार पर पुरी तरह से प्रतिबन्ध लग गया। अब इनका उद्देश्य केवल शासन करना था।

→ EIC (East India Comany) —नाम change हुआ→ Indian Govt. भारत सरकार

विषयसूची

* 1853 का चार्टर एक्ट: → भर्तीयाँ प्रतियोगीता परीक्षा के द्वारा होना शुरू हुआ।

→ पहले भर्तीयाँ चाटूकारीता के आधार पर ही जाया करता था।

इस एक्ट के बाद 1873 का चार्टर एक्ट आता., लेकिन 1857 में क्रान्ती हुआ। जिसके कारण 1858 का भारत शासन अधिनीयम आया।

* 1858 का भारत शासन अधिनियम

1857 → 1857 में जब क्रान्ती हुई तो उस समय ब्रिटेन का PM - पामर्सटन था।

1858 → लेकिन जब क्रान्ती खत्म होती है तो उस समय ब्रिटेन का PM - जॉन डरबी

② 1 NOV. 1858 को यह अधिनीयम लागू हुआ।

मिण्टो पार्क में (इलाहाबाद)

लार्ड कैनींग के द्वारा।

① क्रान्ती के बाद नयी व्यवस्था आयी जिसमें भारत का शासन Company से हीन कर Crown के हाथ में चला गया।

(Crown → ब्रिटेन का सम्राट या राजा)

= Crown स्वयं भारत में शासन नही चलाता था। ब्रिटेन में भी मंत्री मण्डल का बैठक होता था., वही से Decide हुआ की., भारत में शासन चलाने के लिए मंत्री का गठन होगा जो भारत में शासन चलायेगा., जिन्हे 'भारत मंत्री' कहा जायेगा। जिसमें 15 सदस्यों का council बनाया गया। (जो ब्रिटेन में रह कर भारत में शासन चलायेंगे)

⇒ उस समय भारत का गवर्नर जनरल = लार्ड कैनिंग था।

⇒ लार्ड कैनिंग को भारत मंत्री का agent बनाया गया और उसका पद नाम बदल कर 'वायसराय' कर दिया गया।

⇒ भारत का अन्तीम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय = लार्ड कैनींग।

विषयसूची

* 1861 का भारतीय परिषद् अधिनियम

→ भारत में 3 उच्च न्यायालय बना।
- कलकत्ता उच्च न्यायालय
- मुम्बई उच्च न्यायालय
- मद्रास उच्च न्यायालय

शासन crown के हाथों मे जाने के बाद पुरा भारत छोटे-छोटे प्रान्तों में बट गया। न्याय के नाम पर केवल एक ही सर्वोच्च न्यायालय था।

1861 में आदेश आया और ये 3 उच्च न्यायालय 1862 में बना।

→ उसके बाद 1866 में एक और उच्च न्यायलय की स्थापना हुई = उत्तर प्रदेश में।

* 1909 का मार्ले मिण्टो सुधार

1909 से पहले बहोत सी घटनाएँ हुई

जैसे 1905 → बंगाल विभाजन ← कर्जन द्वारा किया गया राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए।

1906 में → मुस्लीमलीग की स्थापना

2 समुदाय निकल कर आये, जो एक दूसरे के विरोध में थे।

→ जिस वजह से अंग्रेजो को भारतीयों को बाटने का अवसर मिला।

→ पृथक निर्वाचन मण्डल की सुविधा मुस्लिम समुदाय को दिया। निर्वाचन की सुविधा अलग करें इसके लिए।

* 1919 का भारतीय परिषद् अधिनियम (मांटेग्यू - चेम्सफोर्ड सुधार)

→ मांटेग्यू प्रस्तुत करने वाले

→ चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे

→ द्विसदनीय विधायीका की निव रखी गयी। आज < लोकसभा, राज्यसभा

पहले < राज्य परिसद, विधानसभा

राज्य अस्तित्व मे आया और द्वैध शासन आया

विषयसूची

* 1935 का भारत शासन अधिनियम

गाँधी जी के आन्दोलनों के कारण, अंग्रेजों ने दबाव में आकर जनता की संतुष्टी के लिए, ये अधिनियम लाया।

→ भारत ~~की~~ एक संघ (union) के रूप में develop हुआ।

→ अंग्रेजों का बर्मा पर भी कब्जा था, जिसे संघ मे शामील नही किया गया।
यानी बर्मा को भारत से अलग किया गया।

→ राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त किया।

→ केन्द्र में द्वैध शासन अपनाया गया। (भारत के लोगों को भी भागीदार बनाया)

→ 1937 में चुनाव कराया गया।

→ कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय को वहा से shift कर के दिल्ली लाया गया और सर्वोच्च न्यायालय का नाम बदलकर संघीय न्यायालय बनाया गया।

1915 → Gandhi ji भारत आये (South Africa से)

1917 — चम्पारन सत्याग्रह
चम्पारन (बिहार)

1918 → खेड़ा सत्याग्रह
→ अहमदाबाद मील मजदूर आन्दोलन

1919 → खिलाफत आन्दोलन

1920 → अखिल भारतीय आन्दोलन
(All India Moment)
असहयोग आन्दोलन

1930 → सविनय अवज्ञा आन्दोलन
or
नमक आन्दोलन
or
डांडी मार्च

Note:-
1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद ब्रिटेन 2nd world war में busy हो गया।

* प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 तक चला था।
* द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945)

* प्रथम विश्वयुद्ध के समय भारतीय को शामील किया गया था, और इस वजह से अंग्रेज को जीत भी मिली थी।

* द्वितीय विश्व के समय, भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया और Congress ने अपने पद से Resign कर दिया।
भारतीय इस वजह से 2nd world war में हिस्सा नही ले रहे थे।

विषयसूची